

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : इस सरकार के सामने उत्तराखंड की क्या बात की जाए ... (व्यवधान) ... सरकार से क्या जवाब मिलने वाला है। अगर सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है कि हमारे बोलने का क्या अर्थ है? ... (व्यवधान) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों आप समझ जायें ... (व्यवधान) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not proper ... (Interruptions) ... This is not proper at all ... (Interruptions) ... If you are not interested, I adjourn the House. Till 3.30 the House is adjourned.

The House then adjourned at fifty-three minutes past two of the clock.

The House re-assembled at thirty-one minutes past three of the clock. The Vice-Chairman (Shri Md. Salim) in the Chair.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, ... (Interruptions) ...

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Sir, ... (Interruptions) ...

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI Md. Salim): The House stands adjourned for half-an-hour.

The House then adjourned at thirty-two minutes past three of the clock.

4.00 PM.

The House reassembled at one minute past four of the clock, The Deputy Chairman in the Chair:

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) इस्तीफा आया कि नहीं...

श्री मोहम्मद अक़ज़न उर्फ़ मोम अक़ज़न : 'प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आया कि नहीं आया...

श्री मोहम्मद अक़ज़न उर्फ़ मोम अक़ज़न : 'प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आया कि नहीं आया...

श्री मोहम्मद अक़ज़न उर्फ़ मोम अक़ज़न : 'प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आया कि नहीं आया...

श्री मोहम्मद अक़ज़न उर्फ़ मोम अक़ज़न : 'प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आया कि नहीं आया...

श्री मोहम्मद अक़ज़न उर्फ़ मोम अक़ज़न : 'प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आया कि नहीं आया...

उपसभापति : क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ... (व्यवधान) माथुर साहब को बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अक़ज़न उर्फ़ मोम अक़ज़न : माथुर जी कह रहे हैं कि ... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अक़ज़न उर्फ़ मोम अक़ज़न : 'प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आया कि नहीं आया...

उपसभापति : श्री जगदीश प्रसाद माथुर ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, मेरा कहना यह है ... (व्यवधान) आज वहां कर्मचारी दो तीन हफ्ते से हड़ताल पर है। काम ठप्प है (व्यवधान) ...

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, I am on a point of order. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is this ? (Interruptions).

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उत्तर प्रदेश सरकार को इस्तीफा देना चाहिए ... (व्यवधान) मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Go back to your seats ... (Interruptions) Please go back. Otherwise, I will adjourn the House till 5 o'clock ... (Interruptions) I am going to adjourn the House ... (Interruptions) I can't allow this ... (Interruptions) The House is adjourned till 5 o'clock.

The House then adjourned at six minutes past four of the clock.

The House reassembled at five of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

On the situation arising out of the ongoing mass agitation in hill areas of Uttar Pradesh demanding a separate Uttarakhand State and the action taken thereon cont'd

उपसभापति : कितनी बार नमस्कार करना पड़ा आज ?

How many times did I do namaskaram?

[] Transliteration in Arabic Script.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : आज बहुत मेहनत पड़ रही है आपको, बहुत स्ट्रेन है आप पर।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : मैडम, वह बुजुर्गवार कहां है, जो 5 बजे तशरीफ लाने वाले थे ?

[نہ تاوردی دل "دی حکم ریخت" -
مقدم۔ وہ بزرگوار کہاں ہیں جو ۵ بجے
تشریف لانے والے تھے]

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI S. B. CHAVAN) : Madam, since the Prime Minister is going to come in a few minutes, I request you to permit me to reply to what Shri Mathur has said in the morning on the Calling Attention Motion. ... (Interruptions) ...

SHRI MD. SALIM : Madam, Mr. Sukh Ram is here ... (Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Salim, please sit down. Sometimes you should listen. Please sit down ... (Interruptions) ...

SHRI MD. SALIM : Madam Since Mr. Sukh Ram is here. We can start ... (Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : No. nothing doing. Chavanji, you please go ahead.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : Madam, I have already said ... (Interruptions) ...

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhara Pradesh) : Madam, in the *Hindustan Times*, a report appeared which says that Mr. Sukh Ram was planning to bring a privilege motion against me. I will rather welcome it. I would rather welcome the privilege motion against me to be tabled by Mr. Sukh Ram ... (Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : All right ... (Interruptions) ...

SHRI S. JAIPAL REDDY : Madam, according to the report in the *Hindustan Times*, Mr. Sukh Ram is planning to move a privilege motion.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I let it come. Then we will see.

SHRI JAIPAL REDDY : I would rather welcome it.

SHRI S. B. CHAVAN : Madam, I have already said that the issue is so complicated that it is very difficult to

come to any conclusions. We are trying to persuade different sections of people coming from the Uttarakhand region. At the officers' level, we are having discussions. I myself am going to have a discussion with some of the leaders of that area with a view to finding some amicable solution. I think hon. Shri Mathurji should be able to understand that this is an issue on which, if I am asked to make immediately some commitment, it is going to become a very difficult proposition because the State Government seems to have filed an affidavit in the case which is pending with the High Court. The rejoinder which they have filed on behalf of the Government is, in fact, contrary to what they have passed in the Legislature, thereby, saying that it is not a backward area, not at all. Beyond this, I am not going into further details.

Madam, on both sides there are people who are having very fixed ideas. Then, it becomes the responsibility of the Government to see that both the sections are persuaded to find an amicable solution. One section should get the feeling that something has been done to them and the other section should also get the feeling that they are not deprived of anything. That is the way we should deal with the matter. So, we are trying to reconcile both the section and are trying to find an amicable solution. That is going to be my effort. I request the hon. Members, especially those who come from that area, Dr. Murli Manohar Joshi in particular.... (Interruptions) ...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh) : He comes from Allahabad. He left that area very long ago.

SHRI S. B. CHAVAN : Very long ago. All right. To discuss this problem, I would like to invite some of the leaders of different political parties and discuss with them on what lines we should try to find a solution to this problem because whatever we do, I am sure, is bound to have some fall-out. That is why I would like to avoid any kind of confrontation in this matter. This is an emotional issue. Those who entered into this agitational approach happen to be ex-soldiers, ex-armymen, who, in fact, have done an excellent job for the security of the country. I will have to keep this in view. After discussing matter with different sections of the House, as far as possible, I will try to find an amicable solution. I am sure all the hon. Members will help the Government in this matter.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : What about the atrocities committed by the police ... (Interruptions) ...

उत्तरदायित्व : मिस्टर यादव। (व्यवधान) माथुर साहब, वह भी सवाल पूछ लें, इकट्ठा जबाब आ जाएगा।

श्री रामगोपाल धावव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें एक बात, दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही मिसलीडिंग की है। उत्तराखण्ड का निर्माण और न्यायालय में गवर्नमेंट का रिजर्वेशन के इस्सू पर एफिडविट, यह दोनों एकदम अलग इस्सू है। यह कैसे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ रेजोल्यूशन भेजा है, उसके कन्ट्रेरी हलफनामा दिया है। यह बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कमिटेड है उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए और इसकी सिफारिश उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के प्रस्तावों के जरिए आ चुकी है। रिजर्वेशन का इस्सू जो है, बिल्कुल अलग चीज है। उसमें जो गवर्नमेंट की पालिसी है, हम यह मानकर चलते हैं कि पूरे देश को एक इकाई मानकर चला जा सकता है। आप यह कैसे कह सकते हैं, उत्तराखण्ड में रिजर्वेशन इतने परसेंट हो? तब तो फिर हम यह कहेंगे कि मेरठ में इस कम्युनिटी के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग कम रहते हैं उनका रिजर्वेशन कम होना चाहिए, इटावा में इतना ज्यादा होना चाहिए। यह तो कोई पालिसी नहीं हो सकती। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे राज्य को एक इकाई मानकर रिजर्वेशन की बात की जा सकती है। इसका उत्तराखण्ड के निर्माण से कोई वास्ता नहीं है। मैं नहीं समझता कि माननीय गृहमंत्री जी ने इस तरह की बात कैसे कही।

SHRI S. B. CHAVAN : Madam, I want to react to it first. There seems to be a total misunderstanding in what the hon. Member has said. I have merely said that the criteria on which a separate State can be considered was, as per one of the judgments of the Supreme Court, that if a particular area happens to be economically and socially backward, it might be that there is a case for the consideration of the same.

Thereafter, there has been one more judgment. But the Uttar Pradesh Government in their rejoinder said that from all points of view, having all criteria in view, this Uttarakhand area does not fulfil any of the criteria and that is why it cannot be considered as backward. That is the point.

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, गृहमंत्री जी ने उत्तरांचल या उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के बारे में कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। उत्तरांचल आठ जिलों से जरूर बना है, लेकिन इसकी सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं—भारत और चीन से और भारत और नेपाल से। गृहमंत्री जी ने

ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वहां बहुत बड़ी मात्रा में देश के सैनिक रहते हैं और उन सैनिकों ने देश की हर समय बड़ी सेवा की है। यह आज जो कश्मीर का श्रीनगर हमारे पास है, इसमें भी सबसे पहले कुमाऊं रेजीमेंट्स और गढ़वाल रेजीमेंट्स की फौज उतारी गई, चीन की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा कुर्बानी उन लोगों की है, इसके अलावा हजरत बल के मामले में भी सबसे ज्यादा कुर्बानी उस क्षेत्र के सैनिकों ने की है। वह बड़े देशभक्त सैनिक हैं। उनके परिवार के लोगों को मारा गया है, उनके परिवार के लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है।

महोदया, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मूजफ्फरनगर के, उनका यह बयान आता है कि अगर जंगल में कोई महिला अकेली पाई जाए तो वह बलात्कार को निमित्त करती है। यह आपका शासन क्या कर रहा है? क्या यह इस प्रकार के बयान देने वाले लोग, जिलाधिकारी प्रशासन में रह सकते हैं? हमने इस बारे में प्रधानमंत्री जी से कहा था और उन्होंने गृह सचिव को हमारे सामने आदेश दिया था कि ऐसे जिलाधिकारी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि आप उत्तराखण्ड के इस मामले को किस हद तक ले जाना चाहते हैं? कितनी दूरी तक उसे ले जाना चाहते हैं? कितने बलात्कार करवाना चाहते हैं? कितने लोगों को गोलियों से मरवाना चाहते हैं? आखिर कब आप इस मामले का निस्तारण करेंगे? आज चार महीने हो गए, पांच महीने हो गए, वहां हजारों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। पहाड़ में आजकल इस समय ठंड हो रही है। वहां जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। लोग उत्तेजित हैं वहां इस हद तक, और इन सारी कठिनाइयों के बावजूद ऐसा आंदोलन चला रहे हैं।

महोदया, आजादी के बाद इस प्रकार का प्रशांति पूर्ण आंदोलन इस देश में राज्य निर्माण का कहीं नहीं हुआ। दो दो बार विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया और आपके पास यह प्रस्ताव भेजे, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और दूसरा अब स० पा० ब० स० पा० की सरकार ने। आप उस पर क्यों नहीं निर्णय ले रहे? इसमें क्या कठिनाई आपको आती है? क्यों नहीं आप पृथक राज्य के निर्माण की घोषणा करते? आप देशभक्ति के लिए उनको यह ईनाम देंगे? कब तक आप उनके संतोष और जो उनका धैर्य है उसकी परीक्षा लेंगे? कब तक आप उनके सब्र की परीक्षा लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि वहां भी उत्तेजना फैले? गृहमंत्री जी, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि वहां नारे जग रहे हैं और

ऐसे नारे दीवारों पर लिख दिए हैं कि "पश्चिम नजदीक है और दिल्ली दूर है"। आप क्या चाहते हैं वहाँ ? क्या आप उस सारे क्षेत्र को एक भयानक उग्रवाद की आग की चपेट में लपेटना चाहते हैं, जिसमें देश के बहुत से भाग लिपटे हैं ? क्या आप तब तक बात नहीं सुनेंगे जब तक वहाँ के लोग उग्रवाद की शरण में न चले जाएँ ? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देश के उस क्षेत्र को बचाइए, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह सीमावर्ती क्षेत्र है, आई० एस० आई० के अड्डे भी आज हमारी जिन सीमाओं पर लग हुए हैं और जिस प्रकार का आतंकवाद और उग्रवाद वहाँ से फैलाया जा रहा है, वह अगर वहाँ लग गया तो उस चिन्तगारी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। गृह मंत्री महोदय, मैं देश की सुरक्षा के लिए, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देशभक्त लोगों के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें आप बहुत देर न लगाएँ। भारत की उन तमाम माताओं और बहनों की इज्जत के साथ, जिनके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़ा छिनीना खेल खेला है, आप उनके मन की आश को पहचानिए। ऐसा न हो कि इस आग से इस देश के अंदर बहुत अधिक झुलमन पैदा हो जाए। यह चिन्तगारी अगर हिमालय से निकलेगी तो इस देश के बहुत बड़े क्षेत्र का नुकसान करेगी। मैं उस क्षेत्र का निवासी हूँ और आपसे यह कहना चाहता हूँ कि देशभक्तों की और अधिक परीक्षा न लीजिए, पृथक उत्तरांचल राज्य का निर्माण कीजिए। यह निर्माण समय की मांग है, देशभक्ति की मांग है, यह पृथक्तावादी आंदोलन नहीं है, उग्रवादी आंदोलन अभी तक नहीं है, इसलिए आज यह आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है कि आप किसी प्रकार का संकोच किए बिना इस राज्य का निर्माण कीजिए, सारा देश आपका साथ देगा।

मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई कराने वाले हैं ? उन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कराने वाले हैं ? क्या वह सी० बी० आई० का रिपोर्ट जो इस तमाम मुजफ्फरनगर कांड के बारे में, जिसने जांच पूरी की है, उसको आप सदन के सामने रखेंगे ? महिला कमीशन की रिपोर्ट क्या आप सदन के सामने रखेंगे ? उनके अंदर वर्णित तथ्यों के आधार पर आप उत्तर प्रदेश सरकार पर क्या कार्रवाई करेंगे उसके बाद वहाँ जिस तरह से प्रेस पर हमला हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अन्य आचार किए, उस पर क्या आप मौन धारण किए बैठे रहेंगे ? इसलिए मैं आपसे यह मांग करूँगा, माथुर जी के साथ मिलकर, कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार के

आचरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे ? आप पृथक पर्वतीय राज्य के निर्माण के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उन तमाम दोषी अधिकारियों के बारे में और सी० बी० आई० रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे ? अधिकारियों की तनखवाहों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, धर्मचारियों की हड़ताल के बारे में क्या कहना चाहेंगे और झूठे मुकदमे जो वहाँ चलाए गए हैं, उनके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे ? ये तमाम प्रश्न हैं जिनसे आज उत्तरांचल का सारा जन-मानस क्षुब्ध है और मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप उत्तरांचल राज्य के निर्माण की घोषणा शीघ्र करें।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगी, उत्तर प्रदेश में प्रशासन तंत्र को चलाने के लिए पिछले दिनों, कई साल पहले, उस समय कांग्रेस की भी सरकार रही, पी० ए० सी० बनाई गई थी और पी० ए० सी० का काम हमेशा आम लोगों पर जुल्म करना रहा। यह कहानी है, यह सबको मालूम है, सरकार को मालूम है, चव्हाण साहब को भी मालूम है यह बात। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रशासक जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, वे प्रशासन के केन्द्र-बिन्दु होते हैं—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब इस तरह की बात कहें कि कोई महिला अगर अकेली धूमती रहे तो पुरुष के मन में क्या होगा, वह रेप नहीं करेगा तो क्या करेगा ? यह किस तरह की मानसिकता है, कितनी गंदी मानसिकता है ? कहाँ हम जा रहे हैं, किस तरफ देश को ले जा रहे हैं और ये प्रशासनिक पदाधिकारी, जिनके ऊपर शासन-तंत्र का सारा जिम्मा है They are the pivot of Indian administration और जो पिवाँट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, वह इस तरह की बात करे और केन्द्रीय सरकार चुप रहे, वह केन्द्र सरकार के मुलाजिम होते हैं—आई० ए० एस० के अफसर, आई० पी० एस० के अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट के कैडर से है, भारत सरकार कुछ न करे, तो यह बहुत गलत बात है। जब चाहे जिस तरह की बात करें, जहाँ चाहे जिस तरह की बात हो महिलाओं के साथ, यह बहुत ही गलत बात है,।

रही उत्तराखंड की मांग, तो सारे देश में मांग उठ रही है, भारत सरकार को चाहिए कि वह स्टेट रियारगनाइजेशन कमीशन को बिठाए और पूरे देश में, जहाँ-जहाँ नए प्रान्तों के गठन की आवश्यकता है, पूरे देश में जांच करके नए प्रान्तों का गठन कर दे। अगर आवश्यक हो और छोटे-छोटे प्रान्त बनने से इस देश का कल्याण होता हो तो निश्चित रूप से इसे करना चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभापति जी, उत्तराखंड को मांग, जो और राज्यों के बंटवारे के सिलसिले में मांग हुई है, उससे कुछ भिन्न है क्योंकि मई या जून, 1938 में जवाहर लाल नेहरू जी, जो इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने वहां कांग्रेस का एक सम्मेलन किया था गढ़वाल के श्रोनगर में और वहां स्वयं जवाहर लाल जी ने इस प्रकार की मांग को रखा था और उसके बाद उत्तराखंड के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की विधान सभा दो बार प्रस्ताव पारित कर चुकी है और विधान परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है, अभी गृह मंत्री जी ने श्री नारायणसामी जी के प्रश्न के उत्तर में 7 दिसम्बर को इस राज्य सभा में कहा कि केन्द्रीय सरकार का राज्यों के वर्तमान ढाँचे को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अंग्रेजी में कहा है कि — *The Government did not propose to reorganise the present set-up of the States*, श्री नारायण स्वामी जी ने यह प्रश्न उठाया था कि उत्तराखंड की मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

तो मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड के संबंध में पहली बार जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय सर्वसम्मति से विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया और जब बसपा और सोशलिस्ट पार्टी की सरकार आई, जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हैं, उनके समय में विधानसभा ने और विधान परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया। बी० जे० पी० की सरकार के समय में विधान परिषद ने यह प्रस्ताव पारित नहीं किया लेकिन वर्तमान सरकार के समय में विधान परिषद ने भी यह प्रस्ताव पारित किया है और जिस समय प्रस्ताव पारित हुआ, दोनों बार ही सभी पार्टियों के सदस्य मौजूद थे। किसी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। तो यह समय की पुकार है, जनता की भावना है, जन-प्रतिनिधियों की भावना है। उस क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है और ऊस आंदोलन को कुचलने की साजिश की गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार को तुरंत इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए।

महोदया, भारत सरकार के गृह मंत्री ने एक तरह से उत्तर दे करके इस मांग को अस्वीकार कर दिया है कि उनका कोई इरादा नहीं है उत्तराखंड राज्य स्थापित करने का। तो ऐसे में बात करने का औचित्य क्या रहेगा ? इसलिए कम से कम भारत सरकार को खुले दिमाग से सोचना चाहिए और जब विधानसभा ने दो-दो बार प्रस्ताव पारित कर दिया है, विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने प्रस्ताव पारित किया है तो मेरा निवेदन है कि इस मांग को मान लेना चाहिए।

उपसभापति : ज्ञानेश्वर मिश्र जी, आप बोलिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : ज्ञानेश्वर मिश्र नहीं ज्ञानेश्वर मिश्र।

उपसभापति : मैं तो समझी आप ज्ञान का भंडार है।

श्री ज्ञानेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से ये राय जाहिर कर दूँ कि उत्तराखंड राज्य की मांग को जितनी जल्दी यह सरकार स्वीकार करे, उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ मित्र लोग जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के विरोधी हैं, उनसे मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि हम लोग भी विरोधी पार्टी में रहे हैं और सरकारी पार्टी में भी रहे हैं और सरकारों पर हम लोग आरोप भी लगाते हैं और लगाते रहे हैं। विरोधी पार्टी में हम लोगों के खिलाफ जो लोग रहे हैं, वे भी आरोप लगाते रहे हैं। एक-दो राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं जो निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने में बहुत माहिर मानी जाती हैं इस देश की राजनीति में। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उस पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है अपनी जुबान से।

श्री ज्ञानेश्वर मिश्र : यह आज से नहीं है। ये आरोप उस सोच के लोग किसी ज़माने में गांधी जी पर भी लगाते थे। किसी ज़माने में हम लोगों के जो नेता लोग होते थे, उन पर भी ये आरोप लगाया करते थे, कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों पर भी उन लोगों ने आरोप लगाए क्योंकि वे किस्से गड़ने में माहिर हैं। उन लोगों का जो सुबह-शाम मिलने-जुलने का तरीका है, उसकी मारफत उनकी रूमस फलाने में सहूलियत मिलती है।

महोदया, मैं तथ्यों की तरफ जाऊँ और घटनाओं का वर्णन करूँ, जिस तरह इन लोगों ने किया है कि एक तरफ तो चौराहे पर गोली चल रही थी, लोग मर रहे थे, कुछ लोग पत्थर चला रहे थे, पुलिस खदेड़ रही थी, लोग भाग रहे थे और उसी में बलात्कार हुआ था, यह व्यावहारिक रूप से संभव है ? कहते हैं किसी कलक्टर ने कह दिया। ये कलक्टर या जिला-धिकारी या अफसर पिछले 10—15 साल से राजनीति में जो उठापटक प्रदेश और देश में मची है, क्या उस उठापटक के नतीजे से प्रभावित नहीं है ? उनके दिमाग प्रतिबद्ध नहीं है ? जिस तरह से देश में सांप्रदायिकता के सवाल पर या समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके उत्थान के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर जिस तरह की राजनीति चल रही है तो कुछ बड़े लोग स्वर्ण जाति से अफसरों में आ गए, उनके

मन में कहीं चोट नहीं लगी है, वह गलत-बयानी नहीं कर सकते हैं, बातों को बिगाड़ नहीं सकते हैं, इस बात को संपूर्ण देश के लोगों को सोचना चाहिए। महिला की इज्जत जितनी प्यारी किसी भी पार्टी के नेता के लिए होगी, श्री अटल बिहारी वाजपेई के लिए, श्री नारायण दत्त तिवारी के लिए, श्री सत्य प्रकाश मालवीय के लिए, डा० मुरली मनोहर जोशी के लिए और श्री नरसिंह राव के लिए होगी, उससे जरा भी कम महिला की इज्जत हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में नहीं होगी। महादया, महिला राजनीति में इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। बहुत पहले भी हम कभी-कभी सुना करते थे। लेकिन जब पुलिस घर में घुसती थी तो उसकी ज्यादाती के किस्से हमने सुने हैं। लेकिन पुलिस चौराहे पर जनता की भीड़ के साथ अन्याय करते हुए भी ज्यादाती करती है, यह हम पहली मर्तबा अपने माहिर मित्रों के मुंह से सुन रहे हैं, जो अफवाह फैलाने में तेज होते हैं। इसलिए ... (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : (मध्य प्रदेश) : आप अपनी सरकार की वकालत करने जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं किसी की तरफ इशारा जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। अभी जिन मित्रों ने यह मांग की है कि उत्तराखंड को तत्काल राज्य का दर्जा देकर के स्थापित किया जाए, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है ... (व्यवधान)

श्रीमती मालती शर्मा : (उत्तर प्रदेश) : मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए। ... (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपनी असेंबली और विधान परिषद में यह प्रस्ताव पास कर चुकी है कि राज्य का दर्जा उत्तराखण्ड को दिया जाए, किसी अदालत में उससे अलग किस्म का बयान दे रही है, यह सच नहीं है। माननीय राम-गोपाल जी ने अभी कहा है वह सही है कि एक प्रदेश में अगर आरक्षण का कानून लागू होगा तो एक-एक इलाके को चुनकर के अलग-अलग किस्म का कानून नहीं बनाया जा सकता। फिर तो कोई कानून चल ही नहीं सकता है। उस सिलसिले में एक एफेडेविट राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है और हम समझते हैं कि समाज में जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको अगर न्याय दिलाना है तो उन्हें आरक्षण दिया ही जाएगा और उसके लिए मजबूत कदम हर राज्य सरकार को उठाना चाहिए और वह उठा रही है। लेकिन उसके साथ ही राज्य सरकार ने जो अपनी असेंबली और विधान परिषद से प्रस्ताव पास किया है उस प्रस्ताव के तहत उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना

हो, इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं ... (व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मुझे एक तथ्य यहाँ सामने रखना है कि उत्तर प्रदेश के आठों जिलों के लिए अलग-अलग कानून हमेशा से बनते रहे हैं। वहाँ रेवेन्यू पुलिस होती रही है, पुलिस कभी नहीं। सारे उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू था परन्तु कुमाऊँ गढ़वाल में लागू नहीं था। इसके अलावा भी ऐसे तमाम कानून हैं जिनमें इस सारे इलाके के लिए शैड्यूल हमेशा से अलग होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा कि गृह मंत्री जी ने बताया, इसी प्रश्न पर था कि क्या कुमाऊँ गढ़वाल के इलाके उत्तर प्रदेश से भिन्न अस्तित्व सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देती है कि इनका अस्तित्व आरक्षण के मामले में ही सारे उत्तर प्रदेश के मदानी इलाके से अलग हैं। इसलिए इस तथ्य को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह बात न तो भारत के संविधान में, न सुप्रीम कोर्ट में, न उत्तर प्रदेश के किसी कानून से यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इन आठों जिलों में आरक्षण के लिए अलग कानून नहीं बन सकता। तो सवाल यह है जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो-दो बार अलग राज्य बनाने की मांग करली तो वहाँ के लोगों का कथन इतना ही है कि यह नीति बनाने का अधिकार उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए। वह आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने इतना ही कहा है कि राज्य बन जाने के बाद हम अपने आरक्षण की नीति स्वयं तय करेंगे। इसलिए इस तथ्य को मैं साफ कर देना चाहता हूँ।

उपसभापति : प्रधान मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। ... (व्यवधान) एक मिनट रुकिए जरा ... (व्यवधान) जिस सिलसिले में स्टेटमेंट की बात थी, प्रधान मंत्री जी यहाँ हैं। वह स्टेटमेंट पांच बजे होना था। मगर चूँकि यह उत्तराखंड का कॉलिंग अटेंशन था इसलिए इस समय में यूज किया। चव्वाण जी, आप कुछ जवाब दे दें, ठीक रहेगा। ... (व्यवधान)

इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं मालती जी को जानती हूँ। ... (व्यवधान)

श्रीमती मालती शर्मा : मिश्र जी, बुजुर्ग लीडर हैं। उन्होंने इतनी गलत बात कही है, मुझे उसका उत्तर देना है। वह मेरा जिला है। मुझे इसका उत्तर देना है। ... (व्यवधान)

उपसभापति : मेरे पास तीन-चार और नाम हैं ... (व्यवधान)

श्री त्रिलोकी नाथ बसुबंदो (उत्तर प्रदेश) :
मालती जी को बोलने दीजिए । . . . (व्यवधान)

श्रीमती मालती शर्मा : महोदया, मैं बहुत लम्बा कुछ नहीं कहूँगी। बहुत साधारण और साफ बात मैं बताऊँगी। माननीय सदस्य ने न कोई बात सही सुनी है और इतना गलत आरोप लगा करके कहा कि हम मन-गढ़न्त कहानियाँ गढ़ते हैं। देखिए, नौ-दस बजे वहाँ से बसे आनी शुरू हो गई और इस भरे सदन के सामने और हमारे प्रधान मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, गृह मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं यह कहना चाहूँगी कि किसी भी एक सदस्य को मेरे साथ पहाड़ के एक-एक जिले में भेजा जाए और वहाँ की दुख भरी कहानी वहाँ की महिलाओं से सुनी जाए। जिस तरह से नंगी औरतों को नचाया गया जंगल के अंदर, गोलियाँ चली मुबह सात बजे, साढ़े छह बजे और इससे पहले सारी रात जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी कहानी मेरी बहने खुद सुन आई है जब कि वहाँ प्लांट किया गया था, तीन दिन उन लोगों को, सारी जनता को कहा गया कि अगर तुमने इसके खिलाफ बयान दिया तो तुम्हारे गांव उड़ा दिए जाएंगे, तुम्हें भगा दिया जाएगा। यह स्थिति वहाँ निर्माण हुई थी। फिर भी मेरी बहने बीणा वर्मा जी और गिरिजा व्यास जी, दोनों से यह बात मेरी वहाँ पर हुई थी और उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वहाँ महिलाओं ने बताया है कि यहाँ बलात्कार की हुई महिलाएँ आई हैं और एक व्यक्ति स्वयं जिसने सी० बी० आई० के सामने गवाही दी है, उस व्यक्ति ने जंगल में अपने कपड़े उतार कर दिए, अपना पाजामा दिया नंगी महिला को, अपना कुर्ता दिया और मेरे माननीय सदस्य जो हैं, ये महिलाओं की दशा नहीं जानते? मैं यह कहना चाहती हूँ, आज गृह मंत्री जी सामने हैं, मैंने अपनी सूक्ष्म रिपोर्ट उनको भेजी थी और माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि माननीय गृह मंत्री जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक सरकार के अंग तो हैं ही लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, मुझे इसका उत्तर आप देंगे। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि वह रद्दी की टोकरी में मेरी रिपोर्ट डाल दी गई, उसको गृह मंत्री जी ने पढ़ना भी स्वीकार नहीं किया।

महोदया, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की यही दशा रही, अलीगढ़ के अंदर पचास-पचास हजार रुपया दे करके महिलाओं का मुँह बंद कर दिया गया, यह हालत महिलाओं की है। मैं क्या आपको सुनाऊँ? और हम लोग जब वहाँ पूछने के लिए गए तो वहाँ के डी० एम० और एस० पी० ने ट्रक भर करके उनके बूल्हे जले हुए, आटा गुंथा हुआ, उनको मार

कर ट्रकों में भर करके उनको वहाँ से धिक्का दिया। यह दशा है महिलाओं की इज्जत उत्तर प्रदेश की सरकार की चन्द कोडिया है तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस भरे सदन में रोज़ आएं-दिन कानून बना कर और किताबों में बद रखने से कोई लाभ नहीं होगा। बाहर निकल कर देखिए कि क्या हालत है? आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे फक्र है कि एक बहन नीचे भी बैठे हैं, हमारी महिलाएँ आज यहाँ तक पहुँच रही हैं एक स्वतंत्र देश में लेकिन उसी देश में क्या हालत बाहर की है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ जरा इसका अदाजा लगाइए।

कल-परसों तो हम वहाँ हो कर आए थे और आज ही शीला गौतम जी बता रही थी कि अलीगढ़ में फिर बलात्कार हुआ है और ये, माननीय जनार्दन जी, मिश्र जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप वहाँ के इतने बुजुर्ग आदमी होते हुए इतना गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ महोदया कि आप इस भरे सदन से किसी भी एक सदस्य को मेरे साथ भेजिए। किस तरह से गोलियों से भून करके लड़के अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अभी चार दिन पहले महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ बुरी तरह से और दो बसे भर करके ले गए जंगल में। एक मनोरमा नाम की महिला वहाँ पी० जी० आई० में दाखिल की हुई है और उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। यह स्थिति वहाँ निर्माण हुई है और आप इतनी बात कहते हैं। मैंने वह खेत नारायणन जी को दिखाए थे। हमारे माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, मैंने वह खेत दिखाए थे जिन खेतों में ले जा करके, खीच-खींच करके महिलाओं की दुर्दशा की गई, मैंने वहाँ से कपड़ इकट्ठ किए थे महिलाओं के जो चीथड़े करके वहाँ डाले हुए थे, उनके पेटिकोट, उनकी चुनिया और आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। हम कहानियाँ गढ़ने वाले लोग हैं? अरे पहेलियाँ मत बुझाइए, आप क्या कहते हैं, हमें साफ-साफ बताइए। बस मुझे इतना ही कहना था। . . . (व्यवधान) . . .

श्री जनेश्वर मिश्र : ये हमको कह रही है, हमको तो बोलने दीजिए मंडम। . . . (व्यवधान) . . . मैं फिर कहना चाहता हूँ कि . . . (व्यवधान) . . . मंडम, माननीय सदस्य . . . (व्यवधान) . . .

श्रीमती सुषमा स्वराज : अरे शर्म करो... (व्यवधान)...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? ... (व्यवधान)...

उपसभापति : आप अपनी बात बोल चुके हैं . . . (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य भावती शर्मा जी ने . . .

उपसभापति : आप अपनी बात बोल चुके हैं ।
(व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : नहीं, ऐसे नहीं चलेगा । आपकी तरफ से कोई मेबर मेरा नाम ले और मैं अपनी तरफ से सफाई भी न दे सकूँ। माननीय सदस्या ने जो कुछ भी कहा है ... (व्यवधान)

उपसभापति : जनेश्वर जी, आप बोल चुके हैं । अब मंत्री जी जवाब देंगे । ... (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : बोलने का सवाल नहीं है । भा.ज.पा.की एक माननीय सदस्या ने मेरा नाम लेकर कुछ कहा है । मुझे यह परमिशन होनी चाहिए कि ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am not allowing (Interruptions) आप लोग बैठ जाइए ।

एक माननीय सदस्य : आप उनको भी बैठने को कहिए ।

उपसभापति : अभी होम मिनिस्टर साहब बोलेंगे ... (व्यवधान)

मैं उन्हें भी कहूँगी । आप बैठिए । अभी होम मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं । बैठ जाइए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आत्मा बेचकर रख दी, तुम लोगों ने । महिलाओं की हाय तुम्हें खा जाएगी ।
(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Nothing is going on record. (Interruptions) The hon. Home Minister, please. (Interruptions)

SHRI S. B. CHAVAN : Madam, I would be very brief in my reply. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN : Nothing else is going on record. Let the Home Minister speak. (Interruptions)

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar) : Madam, please give me half-a-minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let the Home Minister answer.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL : I will take just half-a-minute. I had requested the Home Minister. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order, please. I cannot allow so many people. We have the other statement also. (Interruptions) Now, let Mr. Gujral speak.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL : Madam, the point I want to make is this. It is not a question of this party versus that party. The points, mainly, are two

about which we all feel concerned. One is, we must get a credible report about the incidents that have happened because we are all worried. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let him speak. He has a right to speak. (Interruptions).

SHRI INDER KUMAR GUJRAL : Madam, unfortunately, the incidents that have been reported have caused a great deal of concern to all of us. It is not a question of this side or that side. Therefore, it is in the interest of the Government to definitely come out and punish those who are the culprits in this.

Secondly, it is understood, whether one is on this side or that side, that unanimously, we all feel that the formation of the new State is desirable. I hope when the Home Minister replies, he would try to quieten our misgivings, feelings, concern and anxiety on these two things. Thank you.

SHRI S. B. CHAVAN : Madam, on the point raised by the hon. Member, Dr. Murli Manohar Joshi, I fully agree with him that those who are in the Army have done a tremendous amount of work of which the whole nation would definitely feel proud. But to say that it is only the soldiers from that area who have done the job is not correct. All the jawans in the Army deserve our compliments for doing a very good job. On that account, to say that since they have done this, they are entitled for a separate state, is a totally futile argument.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : I have not said like that.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Never mind, Dr. Joshi. Let him speak.

SHRI S. B. CHAVAN : About the conduct of the District Magistrate, Muzaffarnagar—I think the lady Member raised the issue the information at my disposal clearly indicates that the District Magistrate had approached the Press Council of India in regard to the wrong information published in the newspapers.

I am not aware as to what the facts are, but it is proved even *prima facie* that he has been responsible for making such a kind of statement, I will, to the extent possible, try my best, with the co-operation of the State Government, to put that officer under suspension and take action against him ... (Interruptions) ...

उपसभापति : पूरी बात सुनिए, इन्टरप्ट मत कीजिए । (व्यवधान) I will not permit any interruption No. Let the Home Minister speak.

SHRI S. B. CHAVAN: About the CBI report which the High Court has asked for, I will have to find out whether it will be proper on my part to release any kind of report which the High Court has asked for from the CBI. If the CBI inquiry had been instituted on behalf of the Government, then, of course, I would have been in a better position to say definitely what the report contains, but because of this limitation it won't be possible for me to give any kind of information to this House. It is entirely for the High Court to make use of the CBI report either this way or that way. I do not know what the report is.

Only one point more and I have done, Madam, and that is about the Women's Commission. Though the preliminary report was not so much favourable, the Members of both the Houses were specially requested by me to go over there to see things for themselves and then report to me. Unfortunately they could not come to any definite conclusion and they said that at least at Muzaffarnagar they did not find any evidence on which they could possibly come to a conclusion.

About the gang rape which is being alleged ... (Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. What he is saying is not his view. That is what the report says.

SHRI S. B. CHAVAN: It is not mine. This is the report of the hon. Members of Parliament from both the sides ... (Interruptions) ...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Only the Congress Members signed the report ... (Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing anyone except the Home Minister. पूरी बात कर लेने दीजिए। (व्यवधान)

SHRI S. B. CHAVAN: After I got the preliminary report from the Women's Commission, I had specially requested them to go to the hilly areas, meet some of the women and try to find out what the facts are. And I am in full agreement with our esteemed friend, Gujralji, when he says that it is not a question of this side or that side deciding, upon a party basis, as to what action should be taken. I am sorry to say that after visiting those areas, the Women's Commission submitted a report which clearly establishes that there was a gang rape on some of the women. I can't possibly say whether the Women's Commission will allow me to place that report on the Table of the House. It is something about which, unless I consult them, I won't be in a position to say. But whatever little I know this is the position, and I feel really

ashamed that such a conduct should have been found amongst people who, in fact, were responsible. Whether they were agitationists or someone else I am not aware, but the fact remains that there has been a gang rape and those who are responsible will have to be severely dealt with. There is no question about that. This is our view.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, that matter is over.

श्रीमती मालती शर्मा : मैडम, एक मिनट लेना चाहूंगी।

उपसभापति : मिनिस्टर साहब के जवाब के बाद आपका बोलना उचित नहीं है। (व्यवधान)

No, no. I won't permit anything now. Now we have the statement regarding the Gian Prakash Committee report.

STATEMENT BY MINISTER

Gian Prakash Committee Report

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Madam Deputy Chairman, A Preliminary Administrative enquiry to ascertain and report to the Prime Minister facts and fix prima facie responsibility for lapses, if any, in dealing with the situation arising out of shortage in availability of sugar in the current season was ordered in July, 1994. The enquiry was entrusted to Shri Gian Prakash, Retired Comptroller and Auditor General of India.

Shri Gian Prakash had submitted his report on 5th October, 1994.

The report has been placed in the Library of Parliament to enable Hon'ble Members to peruse it.

The issues relating to the projections of availability of sugar in 1993-94 and imports to meet the shortage have two major facets. The first one relates to procedures within Government, for dealing with the situation that arose. These are issues having administrative implications. The other facet deals with issues relating to the allegations that the prices paid for import were unduly high and domestic industry was also given unreasonable profits at the cost of the consumer. Motives for deliberately delaying decisions have been imputed and it has been said that some beneficiaries of the inflated import prices have made money at the cost of the country. Similarly, releases were manipulated to jack up prices and allow extra profits to mill owners.